

REVIEW AND ANNUAL REPORT OF  
NATIONAL FERTILIZERS LTD., NEW DELHI  
FOR 1976-77.

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : अध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ:—

(1) राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1976-77 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(2) राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ ।

[Placed in Library. See No. LT-1613/78].

NOTIFICATIONS UNDER REPRESENTATION  
OF PEOPLE ACT, 1950 AND THE SC AND  
ST ORDERS (AMDT.) ACT, 1976

बिधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरसिंह यादव): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:—

(1) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 9 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति:—

(एक) सां० आ० 836(ड) जो दिनांक 14 दिसम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिस के द्वारा संसदीय तथा विधानसभायी निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1967 की अनुसूची 10 में कतिपय शुद्धियाँ की गई हैं ।

(दो) सां० आ० 27(ड) जो दिनांक 21 जनवरी, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिस के द्वारा संसदीय तथा विधानसभायी निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 की अनुसूची 10 के भाग (ख) में कतिपय शुद्धियाँ की गई हैं ।

(तीन) सां० आ० 28(ड) जो दिनांक 21 जनवरी, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिस के द्वारा संसदीय तथा विधानसभायी निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 की अनुसूची 15 में कतिपय शुद्धियाँ की गई हैं ।

[Placed in Library. See No. LT-1614/78].

(2) अनुसूचित जातियाँ तथा अनुसूचित जनजातियाँ आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 की धारा 8 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सां० आ० 35(ड) की एक प्रति, जो दिनांक 24 जनवरी, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों के बारे में संसदीय तथा विधानसभायी निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 में कतिपय संशोधन किये गये हैं ।

[Placed in Library. See No. LT-1615/78].

12.10 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER  
OF URGENT PUBLIC IMPORTANCEREPORTED DROWNING OF EIGHT BOYS IN  
SHANTI VANA LAKE, NEW DELHI

MR. SPEAKER: Now, we come to the Calling Attention motion but before we take it up I would like to invite the attention of the hon'ble Members to the ruling which has already been given by the Speakers

[Mr. Speaker]

about the scope of the Calling Attention motion. I quote:

"No debate is permitted on such a statement at the time it is made but each member in whose name the item stands in the list of business may, with the permission of the Speaker, ask a specific and brief clarificatory question. The total time taken on a Calling Attention on a day should not be more than half-an-hour. For asking clarificatory questions the member who calls attention should not take more than about three minutes and the other four members about two minutes each."

**SHRI JYOTIRMOY BOSU** (Diamond Harbour): Sir, you are quoting Rules. I have written so many times to you to convene a meeting of the Rules Committee. You have not done it. The rules which you read here will cut very little ice.

**श्री मुख्तियार सिंह मलिक** (सोनीपत): अध्यक्ष महोदय, रूल्स के साथ कुछ कन्वेंशन भी होते हैं। हाउस के कुछ कन्वेंशन भी होने चाहिए। कालिंग अटेंशन मोशन पर डिस्कशन के समय कुछ आबजर्वेंशंस भी किए जाते हैं। तो इस को इतनी लिमिट तक मत ले जाए। क्या आप इसकी अहमियत को खत्म करना चाहते हैं ?

**श्री श्रीम प्रकाश त्यागी** (बहराइच): अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं प्वाइंट ऑफ आर्डर उठाऊंगा। आप ने जो आज रूल पढ़ा है मैं उसका पालन करूंगा और आपसे यही आशा करूंगा कि आगे आने वाले दिनों में आप इस रूल का पालन कराएंगे।

मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न-लिखित विषय की श्री गृह मंत्री का ध्यान

दिलाता हूँ और उन से प्रार्थना करता हूँ कि वे इस बारे में एक वक्तव्य दें:—

"26 फरवरी, 1978 को शान्ति वन, नई दिल्ली की कृत्रिम झील में आठ लड़कों के डूबने के समाचार तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्यवाही।"

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI S. D. PATIL):** Sir, It is a matter of deep regret that eight young boys belonging to an orphanage of Delhi got drowned in the lake in Shanti Vana on the 26th February, 1978. According to available information, twelve boys of Arya Bal Grih Orphanage had gone to play....

**श्री श्रीम प्रकाश त्यागी:** अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है। आप ने ऐसा नियम बनाया है कि प्रश्न हिन्दी में किया जाये तो उत्तर हिन्दी में मिले। यह ठीक है कि ये स्वतन्त्र हैं—अंग्रेजी में जवाब दें या हिन्दी में जवाब दें, लेकिन मैं तो आप के रूलिंग को चैलेंज कर रहा हूँ। आप ने जो रूलिंग दिया है उसके अनुसार कार्य नहीं हो रहा है।

**MR. SPEAKER:** If you are able to speak Hindi, you can do so....

**श्री एस० डी० पाटिल:** महोदय, यह बड़े खेद का विषय है कि 26 फरवरी, 1978 को शान्ति वन की झील में दिल्ली अनाथालय के आठ लड़के डूब गये थे। उपलब्ध सूचना के अनुसार आर्य बालगृह अनाथालय के बारह लड़के रविवार को दोपहर बाद शान्ति वन के पास मैदान में खेलने गये थे। जब वे गुल्ली-डंडा खेल रहे थे तो उनकी गुल्ली झील में गिर गई। लड़कों ने एक दूसरे के हाथ पकड़ कर कतार बनाई और गुल्ली निकालने के लिये पानी में धुस गये।

शान्ति वन में झील उस मैदान में प्राकृतिक गहराई का लाभ उठाकर बनाई गई है। झील की गहराई 1½ फीट से 2½ फीट के बीच है परन्तु कुछ स्थानों पर 4 फीट से 6 फीट तक के गहराई वाले छोटे गड्ढे हैं। हालांकि लड़कों ने हाथ पकड़ रखे थे वे झील के गहरे भाग में चले गये और डूब गये।

4 बच्चों ने जो झील से बाहर रह गये थे मदद के लिये शोर मचाया। घटनास्थल से बोड़ी दूर पर काम कर रहे केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी घटनास्थल की ओर तुरन्त दौड़कर आये और 3 बच्चे को पानी से बाहर निकाला। केन्द्रीय पुलिस नियंत्रण कक्ष और अग्निशमन सेवा दल को दुखद घटना की सूचना शाम के लगभग 6 बजे मिली और लगभग 10 मिनट में दोनों घटनास्थल पर पहुंच गये। शेष बच्चों को पुलिस और अग्निशमन सेवा दल द्वारा बाहर निकाला गया और उन सभी को तुरन्त अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

दिल्ली प्रशासन ने इस घटना में मेजिस्ट्रेट की जांच के आदेश दे दिये हैं और वह एक सब डिविजनल मेजिस्ट्रेट द्वारा की जा रही है। केन्द्रीय लोकनिर्माण विभाग, जो शान्ति वन के रख रखाव के लिये उत्तरदायी है, का छोटे गड्ढों को भर कर झील की सतह को सम ल बनाने का विचार है ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।

श्री ओम प्रकाश त्यागी : अध्यक्ष महोदय, सब से पहले तो मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि आप अपनी रुलिंग को रिवाइज करें और मंत्रियों को स्वतंत्रता दें कि वे अंग्रेजी या हिन्दी में बोलें, क्योंकि माननीय मंत्री जी को हिन्दी में बोलने में कठिनाई हो रही थी।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह घटना पहली घटना नहीं है, इस प्रकार की घटना साल भर पहले भी हुई थी और छोटी-मोटी घटनायें तो अनेक हो चुकी हैं। मैं आप की जानकारी के लिए बतलाना चाहता हूँ—झील के किनारे कई छतरनाक वाइन्टम हैं, जहां पर पानी 6 फुट गहरा है, न वहां पर कोई कांटेदार तार लगा है और न ही कोई चेतावनी का बोर्ड है कि पानी 6 फुट से ज्यादा है, इसलिये कोई अन्दर न जाये। यह झील सी० पी० डब्लू० डी० के नियंत्रण में है, जिन की तरफ में सारे राजघाट के लिये एक ही चौकीदार की व्यवस्था है, और वह भी उस टाइम पर वहां मौजूद नहीं था। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ—जब पहले इस प्रकार की घटनायें हो चुकी थीं, तो सी० पी० डब्लू० डी० के अधिकारियों ने सावधानी के तौर पर वहां चेतावनी का बोर्ड क्यों नहीं लगाया, कांटेदार तार लगाने की व्यवस्था क्यों नहीं की?

मैं सरकार से यह भी जानना चाहता हूँ—क्या एक ही चौकीदार से सारे राजघाट की सम्पत्ति का संरक्षण सम्भव है? सरकार की असावधानी के कारण 8 बच्चों की मृत्यु हुई है, जिन में से 7 बच्चों की मातायें हैं और 1 बच्चे के माता-पिता नहीं हैं। चूंकि सरकार ने वहां कोई चेतावनी नहीं दी, वहां पर कांटेदार तार लगाने की व्यवस्था नहीं की, इसलिये इन बच्चों की हत्या का उत्तरदायित्व सी० पी० डब्लू० डी० और सरकार पर आता है। मैं जानना चाहता हूँ—क्या इन बच्चों की माताओं को, जिन के वही बच्चे एक मात्र आधार थे, सरकार कम्पेन्सेशन देगी? आज जब रेल्वे और हवाई जहाज की दुर्घटनाओं में कम्पेन्सेशन मिलता है, तो यहां भी सरकार को कम्पेन्सेशन देना चाहिये। भविष्य में इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिये

श्री श्रीम प्रकाश त्यागी]

श्री श्रीम प्रकाश त्यागी : नहीं है ।  
अध्यक्ष महोदय, वहां पर बोर्ड नहीं है ।

आप ने इस प्रकार की व्यवस्था कर दी है, इस के लिये मैं आप को धन्यवाद देता हूँ । आप ने अपने उत्तर में यह तो लिखा है कि झील के गड्ढों को भर कर समतल बना दिया जायगा, लेकिन आप यह देखें कि वहां पर चौकीदार एक ही है । इस के साथ ही मैं यह चाहूंगा कि आप यह भी बताएं कि जिन सी०पी० डब्लू० डी० के अधिकारियों की उपेक्षा के कारण यह दुर्घटना हुई है, उन के खिलाफ क्या कार्यवाही की जाएगी ?

SHRI S. D. PATIL: It is true that there were two incidents in the past. On the 21st April 1974, one boy of the age of 12 to 15 was drowned. His body could not be identified. The death was due drowning. The second incident was on 27th July, 1975. Two boys, Mustafa, aged 22 years and Mohammed Naqi, aged about 24 years, were playing football and they were both drowned. After this event, this tragedy occurred on the 26th February, 1978.

It is not true that there are no boards indicating that the entry to the lake is dangerous. The boards are both in Hindi and English. It is clearly written on the board that the entry into the lake is prohibited. It is true that there is no fencing. But fencing could not be provided, because the periphery or the circumference of the lake is so much that it will not be commensurate with the expenses incurred. Normally, the depth of the water is 1½ to 2½ feet. But at certain points, where there is a natural depression, there are certain holes where the depth of the water is about 4 to 6 feet.

श्री श्रीम प्रकाश त्यागी : वहां चेतावनी के बोर्ड हैं ?

श्री एस० डी० पाटिल : हां, बोर्ड हैं ।

SHRI S. D. PATIL: According to the information available to us, there are boards. As far as the filling up of the depression, which has got a depth of 4½ feet is concerned, the CPWD has taken up the matter and it will do the necessary levelling. Though there is no fencing as such, other precautions would be taken. There are already two chowkidars, one for the day and another for the night. As a matter of fact, children are not allowed to play there. But sometimes children take liberty and take the law into their hands and indulge in such things. As far as compensation is concerned, I have already suggested to the Delhi Administration to pay them reasonable compensation. For that funds have to be made available. They have to make provision for funds.

श्री विजय कुमार मलहोत्रा (दक्षिण दिल्ली) : यह जिम्मेदारी आप की है, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन की नहीं है ।

SHRI S. D. PATIL: I am not avoiding the question. I would suggest to the authorities concerned and to the CPWD that they must pay reasonable compensation.

MR. SPEAKER: You take it you have to pay.

SHRI S. D. PATIL: It is not denied I have already made the suggestion to the concerned authorities and they are agreeable. In order to prevent recurrence of such incidents, CPWD is making necessary arrangements, like levelling so that there will not be deep water there.

श्री श्रीम प्रकाश त्यागी : जिन लोगों की उपेक्षा के कारण यह दुर्घटना हुई है उन के खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

**SHRI S. D. PATIL:** There are already chowkidars on duty. But it so happened that he was away from the spot.

**MR. SPEAKER:** What is the use of having chowkidars, if they are not available there?

**SHRI S. D. PATIL:** There are two chowkidars. If future events warrant taking sufficient precautionary measures against such incidents, we may suggest to them that they appoint even additional chowkidars.

**श्री यमुना प्रसाद शास्त्री (रीवा) :**  
अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही भीषण हृदय विदारक दुर्घटना है और जिस तरह का उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया उससे मुझे थोड़ा धक्का सा लगा और उससे ऐसा मालूम पड़ता है कि वे इस दुर्घटना को उतना हृदय विदारक नहीं मानते जितना मानना चाहिए। ये जो 12, 13 वर्ष के बच्चे थे वे भारत की निधि थे और इन की अकाल मृत्यु हुई है और कोई स्वाभाविक मृत्यु नहीं हुई है।

श्रीमन्, मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या माननीय मंत्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि इन बच्चों की माताओं को आजीवन पेंशन दी जाए। इन बच्चों की मृत्यु केन्द्रीय शासन के अधीन क्षेत्र में हुई है और इस की जिम्मेदारी से वह बच नहीं सकता है। ये बच्चे अनाथालय में इनकी माताओं द्वारा इसलिए रखे गए थे कि उन के पास इनके पालन-पोषण का जरिया नहीं था और वे चाहती थीं कि ये बच्चे अनाथालय से पढ़-लिख कर निकलेंगे और उन की देखभाल करेंगे। यह कोई इसका उत्तर नहीं है कि सी०पी०डब्लू०डी० के पास साधन होंगे तो वह इनकी सहायता करेगा। यह कह कर सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती है। यह कोई उन माताओं

की क्षति ही नहीं है, यह समूचे राष्ट्र की क्षति है। इसलिए मैं माननीय गृह राज्य मंत्री जी से यह स्पष्ट आश्वासन चाहूंगा कि वे शासन की ओर से इन बच्चों की माताओं को आजीवन पेंशन दिलाने की व्यवस्था करेंगे।

श्रीमन्, ये बच्चे अनाथालय में रहते थे और अनाथालय का यह मतलब नहीं है कि वह इन की देखभाल की जिम्मेदारी से बरी हो जाए। ये बच्चे अनाथालय के पास धरोहर के रूप में रखे गये थे। इनकी आयु 11 से 13 वर्ष के बीच थी और इस अवस्था के बच्चे जब बाहर जाते हैं तो विद्यालय या अनाथालय का कोई न कोई अधिकारी या मानिटर उनके साथ जाना चाहिये। इनने छोटे बच्चों को ऐसे ही नहीं छोड़ दिया जाना चाहिए। अनाथालय पर भी इसकी जिम्मेदारी आती है क्योंकि इतनी छोटी अवस्था के बच्चों को यह पता नहीं होता कि यह जगह खेलने के लिए प्रोहिबिटिड है या उम जगह पर उन को नहीं जाना चाहिए। दूसरे वहां पर जो बोर्ड लगा था, उम पर अंग्रेजी में प्रोहिबिटिड लिखा होने के कारण वे उस सूचना को पढ़ नहीं सकते थे।

श्रीमन् यह घटना पहली बार नहीं हुई है, उम क्षेत्र में पहले भी दो बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। वहां काफी गहरे गड्ढे हैं जिन के कारण ऐसी मीतें वहां दो वर्ष पहले भी हुई थीं। अगर इनके बारे में समय पर कदम उठाये गये होते तो ऐसी दुर्घटना नहीं होती। इसलिए मैं मंत्री जी से यह स्पष्ट आश्वासन चाहता हूँ कि इन मृत बच्चों की माताओं को जीवन-भर आजीविका के लिए पेंशन दें। क्या मंत्री जी यह आश्वासन देंगे ?

**श्री एत० डी० पाटिल :** मैंने यमुना प्रसाद जी के सुझाव को गौर से सुना है लेकिन मैं यह कम्पिट नहीं कर सकता कि बच्चों की माताओं को लाइफ पेंशन दी जाएगी। यह एक ट्रेजडी हुई है और हमारे दिल को भी इससे चोट लगी है। वे बच्चे भी हमारे अपने ही बच्चे थे और हम जो भी संभव हो सकता है, वह देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।

मैंने कंसडं अथॉरिटीज से कहा है कि प्रापको कम्पेन्सेशन देना होगा। उनसे यह भी कहा है कि कम्पेन्सेशन रीजनेबल हो। अब वे देख रहे हैं कि ऐज के मुताबिक क्या कम्पेन्सेशन हो सकता है ?

शास्त्री जी ने सूचना बोर्ड अंग्रेजी में होने की बात भी कही। बोर्ड दोनों भाषाओं, अंग्रेजी और हिन्दी में है।

**SHRI SHYAMAPRASANNA BHATTACHARYYA (Uluberia):** What I suggest is that when small boys are playing in Shanti Vana, the Chowkidar must be careful. When small boys are playing near about, some grown-up person must be there to take care of the children. The Orphanage caretaker should also be present there. There must be strict instructions in this regard. If the caretaker is not there, the Chowkidar should not allow small boys to play there. These rules should be strictly followed. Just because they are orphans, they should not be neglected. There must be strict laws for the Shanti Vana and they must not allow small boys to play there without their caretaker.

**SHRI S. D. PATIL:** There are four chowkidars for Shanti Vana.

**MR. SPEAKER:** What is the good of merely having chowkidars if they do not look after the people?

**SHRI S. D. PATIL:** There are four chowkidars for Shanti Vana, two for the day and two for the night duty. In addition, there are malis, horticulturists, watchman, waterman and Assistant Caretaker. There is no chowkidar to keep a watch around the lake exclusively. On the fateful Sunday, one chowkidar was on duty and the other was on leave without a substitute. In addition, one waterman and some malis were working away from the site of the accident. On hearing of the accident, they rushed to place of the accident and dragged out the bodies.

**MR. SPEAKER:** The hon. member wants to know firstly why the children were allowed to go there without somebody to watch over them and secondly, will you now see that hereafter there will be a strict watch to see that small children are not allowed inside that place?

**SHRI S. D. PATIL:** Yes, Sir. The orphanage gives escort to children up to the age of 7.

**MR. SPEAKER:** 7 is too small.

**SHRI S. D. PATIL:** It is a society registered under the Societies Registration Act, 1860 and their management's rule is like this. It is for the orphanage to take care of the boys, who number 304. On that fateful day, they were engaged in some meetings on the Gandhi Ground. This is how the whole accident occurred.

**SHRI SHYAMAPRASANNA BHATTACHARYYA:** After this, you must take care.

**SHRI S. D. PATIL:** Yes, the Delhi Administration has already ordered a magisterial enquiry and we are awaiting the result of the enquiry. We will take necessary steps as soon as the report is available.

**श्री मुख्तियार सिंह मलिक (सोनीपत):** यह बहुत ही अफसोसनाक दुर्घटना हुई है। लेकिन उससे भी ज्यादा अफसोसनाक बात

यह है कि मंत्री महोदय इसको बड़ी लाइटली ले रहे हैं। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। सबसे जरूरी सवाल यह था कि वहां पर जो लेन है उसके अन्दर जो गड्ढे हैं उनको क्यों भरा नहीं गया। उस लेन में डूबने की दुर्घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। आज उन्होंने एक नई बात कह दी है कि पोल लगे हुए थे। आज तक किसी ने नहीं कहा है कि लगे हुए थे। कारपोरेशन में भी यह सवाल उठाया गया था। वहां पर भी कमिश्नर ने नहीं कहा कि लगे हुए थे। पेपर्ज के अन्दर भी यह चीज नहीं आई है। पब्लिक स्कूलज में स्विमिंग पूलज हमने देखे हैं। वहां शैलो वाटर और डीप वाटर के बोर्ड लगे हुए होते हैं। जो बच्चे तैरने के लिए जाते हैं वे वार्डन के साथ जाते हैं। वह मिनट टु मिनट, सैकिड टू सैकिड वाच करता रहता है और देखता रहता है कि शैलो वाटर से कोई डीप वाटर में तो नहीं जा रहा है। ये जो गड्ढे खोदे गये थे ये खोदे तो दरख्त लगाने के लिए गए थे लेकिन आय फॅमिली-प्लानिंग के काम में हैं। दस साल से यह झील चली आ रही है। उस में डिचिज हैं, नालियां हैं। यह राइटफाम दिल्ली गेट अपटू शांति वन आती है। इस के अन्दर दो एडल्ट भी बाल खेलते हुए डूब गये थे। जो दुर्घटना हुई है यह क्रिमिनल नैग्लिजेंस का नतीजा है आन दी पार्ट आफ दी डिपार्टमेंट। इसका ड्यू नोटिस नहीं लिया गया है। इन गड्ढों की वजह से जब पहले दुर्घटना हो चुकी है तो पहले भरा क्यों नहीं गया। वास्तव में दिल्ली में प्ले ग्राउंडज नहीं हैं। डिचिज में मच्छर भी पैदा हो जाते हैं, गन्दगी भी हो जाती है, कार्ड भी लग जाती है। इनको भर कर बहुत साफ सुथरे प्ले-ग्राउंड अगर बना दिये जायें तो बच्चे वहां पर खेल सकते हैं और

उन को खेलने के लिए बहुत अच्छा स्थान मिल सकता है। इससे बच्चों का रिक्रिएशन भी हो सकता है और फायदा भी पहुंच सकता है। उसके सारे आर्किटेक्चर को बदलने की जरूरत है। हमें समाधि के बारे में कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं मंत्रीजी से इतना जरूर चाहूंगा कि वहां की सारी सिचुएशन को देखते हुए वहां जो एक किलोमीटर का इतना बड़ा मैदान पड़ा हुआ है वहां चार चौकीदार भले ही लगा दिये जायें, लेकिन आप उस के आर्किटेक्चर को बदलने के लिए तैयार हैं कि नहीं?

दूसरी बात यह है कि सी० पी० डब्लू० डी० की नेग्लिजेंस है क्योंकि इन्होंने इतने दिनों तक गड्ढों को क्यों नहीं भरवाया। वहां भरे हुए पानी में बड़े-बड़े आदमी डूब गये हैं, यह तो बच्चे ही थे। इसलिये इनको क्यों नहीं भरवाया गया? आप इसकी इंडिपेंडेंट जांच कराएँ और जो भी दोषी पाये जायें इस क्रिमिनल नेग्लिजेंस के उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये, चाहे वह सी० पी० डब्लू० डी० के लोग हों या अनाथालय के कर्मचारी हों जिन्होंने इतनी लापरवाही दिखाई है। मैं जानना चाहता हूँ कि उन बच्चों के साथ अनाथालय का कोई आदमी गया था कि नहीं। अगर नहीं तो क्यों? और अगर गया था तो उन की लापरवाही के लिये उन को क्या सजा दी जायगी? इसलिए मैं मंत्री जी से फिर जानना चाहता हूँ कि वहां के आर्किटेक्चर को बदल कर और गड्ढों को भर कर आप प्लेग्राउंड्स बनायेंगे कि नहीं?

श्री एस० डी० पाटिल : जो यह कहा गया कि इस मैटर को लाइटली लिया गया है, यह मैं मानने के लिये तैयार



[श्री एस० डी० पाटिल]

नहीं हूँ। मैंने तो कहा है कि बड़ी दुखद घटना है और हमें इसका बड़ा दुख है। यह आर्टिफिशियल लेक है, स्विमिंग पूल में तो हो सकता है डीप वाटर और शॉलो वाटर के बोर्ड लग सकते हैं। लेकिन झील में . . . . (व्यवधान) यह तो नेचुरल डिप्रेशन है जिसकी वजह से गड्ढे बने हुए हैं, हमने नहीं बनाये हैं।

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar): It is not a fact. I challenge these things.

श्री एस० डी० पाटिल : स्विमिंग पूल हो तो वहाँ बोर्ड लगाया जाये। लेकिन जब तक गड्ढे साफ़ नहीं किये जाते . . . (व्यवधान)

जहाँ तक क्रिमिनल नेग्लिजेंस का का सवाल है, ऐपोर्शनमेंट आफ़ ब्लेम की बात है . . . (व्यवधान)

MR. SPEAKER: A magisterial enquiry is being held into the matter.

श्री एस० डी० पाटिल : अनाथालय वालों की या सी० पी० डब्लू० डी० की किस की गलती है इसकी मजिस्ट्रियल इन्क्वायरी द्वारा जांच हो रही है उसने बाद सोचा जायेगा कि क्या बीज करनी है।

MR. SPEAKER: A magisterial enquiry is an independent enquiry. Now, Mr. Pradyumna Bal is not present. We go to the Report of the Estimates Committee.

#### ESTIMATES COMMITTEE

#### TENTH REPORT AND MINUTES

SHRI SATYENDRA NARAYAN SINHA (Aurangabad): I beg to present

the following Report and Minutes of the Estimates Committee:

(i) Tenth Report on Ministry of Railways—Passenger Amenities.

(ii) Minutes of the sittings of the Committee relating to the above Report.

12.40 hrs.

#### MATTERS UNDER RULE 377

(i) BANDH IN TRIPURA FOR EXTENSION OF RAILWAY LINE FROM DHARAMNAGAR TO KUMARGHAT.

MR. SPEAKER: Mr. Jyotirmoy Bosu.

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): On the 25th February, 1978, the people of Tripura, without exception, observed a peaceful and total bandh demanding immediate extension of the railway line from Dharamnagar to Kumarghat and thereafter to Sabroom via Agartala. The case for extension of railways in Tripura is as follows: Tripura is a tiny land-locked state bounded by the international frontiers of Bangladesh. The geographical isolation and bottlenecks in transport have stood in the way of the State's economic development. The Airlines services and road transport and communication inside the state are very poor. The State's economy cannot advance without large-scale extension of railway communication. Within the state, the need for immediate extension of railway line upto Sabroom via Agartala in Tripura through Indian territory only is a long standing one. It is the hope of the new Tripura government and 18 lakhs of people of Tripura that the Government of India will realise the need and come forward with full support and generous helping hand on the basis of the PAC report to get the rail link pro-